

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर



कार्यालय आदेश



राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाचार्य-उमावि व समकक्ष तथा प्रधानाध्यापक-मावि स्तर के शिक्षा अधिकारियों का कॉलम संख्या-3 में अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या-4 में अंकित स्थान/ विद्यालय से आहरित किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। सम्बन्धित शिक्षा अधिकारी द्वारा यदि कॉलम संख्या-3 में वर्णित अवधि के दौरान किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया है, तो अवकाश स्वीकृति एवं उपस्थिति की पूर्ण जांच किये बिना, कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जावे।

क्रं.सं	कार्मिक का नाम मय पदनाम व पदस्थापन स्थान (सर्व श्री/ श्रीमती)	अवधि	स्थान/विद्यालय का नाम जहां से वेतन आहरित किया जाना है
I	II	III	IV
1	राजेन्द्र कुमार प्रधानाचार्य राउमावि सांगरवा,पिपराली, सीकर	मार्च 2020 का डेफरड वेतन व मार्च 2021 से लगातार	राउमावि कून्दवा, देवगढ, राजसमन्द
2	चन्द्रकिरण पंवार उपनिदेशक (प्रधानाचार्य उमावि समकक्ष) कार्यालय-निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर	मार्च 2020 का डेफरड वेतन	राउमावि गंगाजली, बीकानेर
3	मणिकान्त जोशी प्रधानाध्यापक रा.मा.वि देवान, रोहट, पाली	जनवरी 2021 से लगातार	रामावि मालियों का बास, फलोदी, जोधपुर

वेतन आहरण से पूर्व विभागीय परिपत्र क्रमांक शिविरा/मा/बजट/बी-4/25577/2020-21 /226 दिनांक 26.11.2020 में प्रदत्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावे।

(श्याम सुन्दर सोलंकी)
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/बी-1,2/प्रधाना. व प्र.अ./वेतन व्यवस्था/2021/दिनांक:-31.05.2021
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 उप शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)राजस्थान सरकार जयपुर
- 2 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 3 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा ।
- 4 संबन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
- 5 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय-माध्यमिक
- 6 संबन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 7 सम्बन्धित कार्मिक/संस्था प्रधान को पालनार्थ।
- 8 रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)